न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–393/2016

1. भौरूलाल पुत्र स्व0 श्री किशनराम (मृतक दौराने अपील)

1/1 श्रीमती भंवरी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री भैरूलाल

1/2 कैलाश चन्द पुत्र स्व. श्री भैरूलाल

1/3 हरफूल पुत्र स्व. श्री भैरूलाल

2. जयसिंह पुत्र श्री भैरूलाल

3. श्रीमति राजूदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री प्रहलाद,

जातियान जाट, निवासी–वार्ड नम्बर–20 शाहपुरा ढाणी मेवाकावाली, साधना पेट्रोल पम्प के पीछे, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

4. संदीप पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद

5. हिमांशु पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद

जाति जाट, निवासी–वार्ड नम्बर–20 शाहपुरा ढाणी मेवाकावाली, साधना पेट्रोल पम्प के पीछे, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण–

बनाम

1. श्री मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री किशनराम
2. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल
3. श्री रामसिंह पुत्र श्री मोहनलाल

जाति जाट निवासी–वार्ड नम्बर–20 शाहपुरा ढाणी मेवाकावाली, साधना पेट्रोल पम्प के पीछे, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंटस/वादीगण

4. श्री श्योनाथ
5. श्री उमराव
6. श्री बद्री
7. श्री ग्यारसीलाल
8. श्री मालीराम

पुत्रान चौथमल, समस्त जातियान गुर्जर निवासी ग्राम–बागावास चौरासी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0

9. श्री बनवारी लाल
10. श्री श्रवणलाल

पुत्रान श्री गुल्लाराम, जातियान कुम्हार निवासी, ग्राम–बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर

11. श्री अशोक
12. श्री बाबुलाल
13. श्री रतनलाल
14. श्री हीरालाल

पुत्रान स्व0मदनलाल,

15. ममता पुत्री स्व0 मदनलाल
16. मीना उर्फ बीना पत्नि स्व0 श्री मदनलाल

जातियान कुम्हार निवासी ग्राम–बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

17. श्री गंगाराम
18. श्री मदन
19. श्री मोहनलाल
20. श्री रामोतार

पुत्रान स्व0 श्री भरताराम जातियान गुर्जर, निवासी–ग्राम–बागावास चौरासी, ढाणी गुर्जरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

21. श्री ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम
22. श्री नारायण पुत्र बक्शाराम उर्फ बलराम
23. श्री कालूराम पुत्र गिरधारी
24. श्री शिवदयाल पुत्र नन्दराम

जातियान जाट निवासी– ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

25. श्री सीताराम पुत्र स्व0 श्री औंकार जाति जाट निवासी ढाणी टीकरावाली तन शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

26. श्री पांचूराम पुत्र महादेव जाति गुर्जर निवासी–ग्राम गुर्जरपुरा, तन बागावास चौरासी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

27. श्री मूलाराम पुत्र श्री कालूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गुर्जरपुरा, तन बागावास चौरासी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

28. श्री प्रभुदयाल पुत्र बक्शाराम जाति जाट निवासी ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

29. श्री रामसिंह पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

30. श्री गणपत पुत्र बक्शाराम जाति जाट निवासी ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

31. श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति जाट निवासी ग्राम बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

32. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति जाट निवासी ग्राम बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

33. श्रीमति निर्मला देवी पुत्री स्व0 श्री रूपनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

34. श्री रामगोपाल
35. श्री सुभाष
36. श्री नरेन्द्र

पुत्रान स्व0 श्री मालीराम

37. श्रीमति मनभरी पत्नी स्व. मालीराम

38. श्री रतनलाल
39. श्री सतीशचन्द

पुत्रान स्व0 श्री चिंरजीलाल

40. श्री शम्भूदयाल
41. श्री सांवरमल
42. श्री मनोज कुमार

पुत्रान स्व0 श्री राधाकृष्ण

43. श्रीमति चौथीदेवी पत्नी स्व0 श्री राधाकृष्ण

समस्त जाति महाजन, निवासी ग्राम बागावास चौरासी, तहसील विराटनगर, जयपुर।

44. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

45. तहसीलदार एवं उप पंजीयक विराटनगर तहसील व पंजीयन कार्यालय विराटनगर, तहसील विराटनगर, जयपुर।

–प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1– श्री संजय शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री रामावतार मिश्रा रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–30–01–2018

1– अपीलार्थीगण की ओर से उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20/05/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण संख्या–1 लगायत 3 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 750 लगायत 754, 744, 546, 567 कुल किता 08 कुल रकबा 13.44 हैक्टेयर के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाते हुये एक कन्सोलीडेटेड दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं दिनांक 20.05.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बागावास चौरासी में प्रस्तुत की गई। जिसमें विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद यह अंकित करते हुये निर्णित किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का बाहमी बटवारा पूर्व खातेदारान् ने आपसी सहमति से अरसा 25 वर्ष पहले कर लिया था। बाहमी बंटवारे में वादीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 751 रकबा 4.42 हैक्टेयर में से उत्तर दिशा की 2.76 हैक्टेयर भूमि आई थी। वादीगण ने अपनी बाहमी बंटवारे में आई भूमि की सिंचाई हेतु प्रतिवादी सख्या 22 लगायत 26 के साझे में बोरिंग कर रखा है तथा इसमें प्रतिवादी जयसिंह के नाम से विद्युत संबंध भी ले रखा है। उक्त बोरिंग व विद्युत संबंध में वादीगण का 1/2 हिस्सा हैं। अब प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे को मानने से इन्कार करते है। अतः खसरा नम्बर 744, 753, 750, 754, 567, 751, 546, 752 का कानूनी बंटवारा कर दिया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 26 जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहें एवं प्रतिवादी संख्या–2, 6, 7, 14 व 21 स्वयं उपस्थित आये शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।वादी संख्या –1 एवं प्रतिवादी संख्या– 22, 23, 24 ने बोरिंग एवं विद्युत कनैक्शन बाबत् एक राजीनामा दिनांक 02/03/2016 को पेश किया था, जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया उभयपक्ष के मौका एवं रिकॉर्ड अनुसार बंटवारा प्रस्ताव लिये जाने के निवेदन पर तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 20.05.2016 को प्राप्त किये गये। मजमा ए.आम. में उभयपक्ष को मौके व कब्जाकाश्त अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट समझाई गई। उपस्थित उभयपक्षकारान् ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार कब्जा होना बताया। उभयपक्षों की सहमति के पश्चात राजस्व लोक अदालत की मंशा अनुरूप वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया गया जिससे पीडित होकर यह अपील प्रस्तुत गई है।

3–अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 की गई वादीगण/रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर बहस उयभपक्ष सुनी गई।

4– अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो के मुख्य बिन्दुओ को दौहराते हुये कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों के मध्य विभाजन नहीं किया जाकर केवल वादीगण के हिस्से का ही बंटवारा किया गया है, जबकि सम्पूर्ण कृषि भूमि रकबा 13.44 हैक्टेयर के सभी हितबद्ध पक्षकारों के मध्य विधिवत बंटवारा किया जाना चाहिए था। तहसीलदार विराटनगर ने भी प्राथमिक निर्णय व डिक्री की मंशा के विपरीत न्याय प्रक्रिया की पालना किये बिना विधि के सुस्थापति सिद्धान्तों के विरूद्ध केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 3 जो की अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी थे, के हिस्से का विभाजन कर रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.05.2016 को प्रस्तुत की गई। जिसकी अपीलान्ट्स को कोई सूचना नहीं दी गई। तहसीलदार की कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार करते हुये अवैधानिक

रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित फरमा दी गई। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद केवल विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु था। जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र खसरा नम्बर 751 में मौजूद बोरिंग में वादीगण का 1/2 हिस्सा होना स्वीकार किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने 0.38 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट संख्या–1 को देना स्वीकार कर तद्नुसार विभाजन किये जाने की प्रार्थना की गई थी, किन्तु विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामें के संबंध में कोई निर्णय पारित किये बिना ही वादीगण के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को खसरा नम्बर 751 में समायोजित करते हुये उन्हें खसरा नम्बर 751 में 2.38 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया।तथा विभाजन में उन्हें उक्त खसरा नम्बर 751 में 0.44 हैक्टेयर भूमि के बजाय 2.38 हैक्टेयर भूमि देने का अवैध एवं विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या–1 मोहन लाल ने खसरा नम्बर 751 रकबा 4.42 हैक्टेयर भूमि में से 0.44 हैक्टेयर भूमि को उसके मूल खातेदार श्री रतनलाल एवं श्री सतीश चन्द्र एवं पुत्र चिरजी लाल जो कि प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या–35 व 36 है से दिनांक 05/03/2015 को क्रय किया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी संख्या–1 के नाम खसरा नम्बर 751 के 0.4445 हैक्टेयर भू–भाग खातेदारी नामान्तकरण संख्या–938 दिनांक 20.08.2015 के अंकित की गई है। किन्तु विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 3 को खसरा नम्बर 751 की 2.38 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया, जो अवैध एवं विधि विरुद्ध आदेश है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित करने के पश्चात् प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 13.04.2016 नियत की गई तत्पश्चात पेशी दिनांक 27.04.2016 व 18.05.2016 नियत की गई। कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के बिना पर एवं पीठासीन अधिकारी एवं समस्त स्टाफ न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के तहत मुख्यालय की बजाय अन्य ग्राम में लोक अदालत में व्यस्त होने के करण प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नियत नहीं रखी जा सकी। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने आश्वासन दिया की शीघ्र ही प्रकरण में आगामी पेशी नियत करवाकर अपीलार्थीगण को सूचित कर देगें। विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता को सूचना दिये बिना ही ग्राम बागावास चोरासी में आयोजित लोक अदालत दिनांक 20.05.2016 को विवरण अंकित करते हुये वाद पत्र में अंकित तथ्यों के विपरीत अवैध रूप से वादीगण को खसरा नम्बर 751 रकबा 4.42 हैक्टेयर के उत्तरी दिशा की 2.76 हैक्टेयर भूमि विगत 25 वर्षो से उनके कब्जे काश्त में होने का विवरण अंकित करते हुये तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बाहमी बंटवारे से इन्कार करने का तथ्य अंकित करते हुये अवैध रूप से पत्रावली पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति अंकित करते हुये निर्णय व डिक्री पारित की गई जो अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या –1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत वाद केवल मात्र विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु था जिससे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत तथा कथित राजीनामा एवं न्याय आपके द्वार अभियान की आड में वादीगण को खसरा नम्बर 751 के 2.3732 हैक्टेयर भू–भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया, जो कतई विधि विरुद्ध मनमाना निर्णय होने से निस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकासमा को डिक्री करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में वर्णित प्रावधानों के तहत समस्त सहकृषकों के मध्य विभाजन किया जाना चाहिए था, किन्तु विधि के सुस्थापति एवं बाध्यकारी प्रावधानों को नजरअन्दाज कर तथा जान बुझकर उनकी अवलेहना करते हुये केवल मात्र वादीगण के हिस्से का अलग खाता एवं लगान अदा करने का अवैध निर्णय व डिक्री पारित किया है। इस प्रकार विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने विभाजन के समस्त प्रावधानों की अनदेखी कर मौके व रिकॉर्ड के अनुसार सभी सह खातेदारों के मध्य तकासमा न कर केवल कब्जा रिपोर्ट को आधार बनाते हुये वाद पत्र को राजीनामा दिनांक 02/03/2016, राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित प्रविष्टियों तथा विधि के सुस्थापित व बाध्यकारी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लघंन करते हुये

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उपर्युक्त विवेचना अनुसार विचारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त फरमाया जावें तथा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

5– रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय सही तरीके से पारित किया गया है। यह भी कथन किया गया कि उभयपक्ष की उपस्थिति में मौंके पर कब्जाकाश्त अनुसार कुर्रेजात रिपार्ट तैयार की गई है। तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल के नियमानुसार तैयार की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

6– हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02.03.2016 को राजीनामें के आधार पर पारित की गई। जिसमें उभय पक्ष की प्रार्थना स्वीकार फरमाते हुए यह आदेश पारित किया कि वादग्रस्त आराजियात की उभय पक्षों की उपस्थिति में मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट पेश करें। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत होने के पश्चात् पत्रावली राजस्व कैम्प बागावास चोरासी में प्रस्तुत हुई जहां पर अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2016 को प्रस्तुत हुआ जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर ही यह आदेश पारित किया कि संलग्न नक्शे में दर्शित चालू रास्ते को कुर्रेजात रिपोर्ट में शामिल करते हुए तहसीलदार से संशोधित प्रस्ताव लिया जावे। दिनांक 20.05. 2016 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 05.05.2016 के आधार पर ही निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित फरमा कर दी गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 22 ता 26 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 के मध्य राजीनामा होकर पेश हुआ था, जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त राजीनामा अनुसार आराजी खसरा नम्बर 754, 753 व 567 में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के दर्ज हिस्से के 0.38 हैक्टै0 भूमि प्रतिवादी संख्या 22 भैरूलाल अपीलान्ट संख्या 01 को दिया जाना तय हुआ था तथा खसरा नम्बर 751 में कुआं, बोरिंग व विद्युत कनेक्शन मय पम्पसेट में 1/2 हिस्सा मोहनलाल रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज किया जाना तय हुआ था। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र खसरा नम्बर 751 को विभाजित करते हुए इसके नवीन खसरा नम्बर 751/1 रकबा 2.3732 हैक्टै0 मे वादीगण को व नवीन खसरा नम्बर 751/2 रकबा 0.02 हैक्टै0 (बोरिंग मय चाह) में वादीगण को हिस्सा 1/2 तथा रेस्पोडेंटस को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट में अन्य खसरा नम्बर 750, 752, 753, 754, 744, 546 एवं 567 के बारे में भी वादीगण के हिस्से को दर्शाते हुए कथन किया गया है कि सभी खसरा नम्बर में तीनों वादीगण का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज नहीं है तथा वादीगण द्वारा वाद में खसरा नम्बर 751 में ही कब्जा होना मौका एवं वाद पत्र के अनुसार बताया गया है। खसरा नम्बर 751 में केवल मोहनलाल पुत्र किशनाराम जाट हिस्सा 4445/4656 दर हिस्सा 207/1965 दर्ज है। अन्य वादीगण ओमप्रकाश एवं रामसिंह के नाम खातेदारी में अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट का अवलोकन एवं विवेचन नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 751 में वादीगण ओमप्रकाश एवं रामसिंह को हिस्सा दिया गया है लेकिन जिन खसरा नम्बर में उनका नाम खातेदारी में दर्ज है उनके बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है। वादीगण का कुल रकबा 2.3832 हैक्टै0 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि में स्थित है जो उन्हे मात्र एक खसरा नम्बर 751 में से दिया गया है लेकिन अन्य खसरा नम्बरान में वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को विलोपित किया जाकर अन्य सह खातेदार को दिया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वादीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 के मध्य हुए राजीनामा में खसरा नम्बर 753, 754 एवं 567 में दर्ज वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

मोहनलाल के हिस्से में से 0.38 हैक्टै0 भूमि अपीलान्ट को दिये जाने पर सहमति हुई थी। जिसके बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपूर्ण एवं अस्पष्ट हैं तथा अपीलान्ट के हिस्से की भूमि का विभाजन नहीं किया गया हैं। अन्य पक्षकारान द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तथा विवाद मात्र अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायज 03 के मध्य ही है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपूर्ण व अस्पष्ट होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

7– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को ध्यान मे रखते हुए तथा वादीगण की खसरा नम्बर 751 के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर में दर्ज खातेदारी को हजफ करने के समुचित आदेश प्रदान करते हुए अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण संख्या 22 लगायत 26 के हिस्से की खातेदारी भूमि का विभाजन गुणावगुण पर किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 30–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर